International Journal of Applied Research 2020; 6(10): 363-364

International Journal of Applied Research

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(10): 363-364
www.allresearchjournal.com
Received: 18-08-2020
Accepted: 30-09-2020

Mk0 eniyk jkuh
गृह विज्ञान एम0एस0आर0डी0एस0 कॉलेज, इस्माईलपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
Mk0 eniyk jkuh
गृह विज्ञान एम0एस0आर0डी0एस0 कॉलेज, इस्माईलपुर, बिहार, भारत

efgyk ,o cky fodkl ifj;kstuk dk ifjæ';

Mk0 eniyk jkuh

i.Lrkouk

आज 21 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशाब्दी में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस नये संदर्भ में महिला एवं बाल विकास परियोजना का क्या परिदृश्य है? विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास कायक्रम का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि अब राज्य की भूमिका आदेशात्मक न होकर अनुपूरक और सीमित हो गई है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। विशेष रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉ0 अमर्त्य सेन के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की धारणा की बढ़ती लोकप्रियता और उसकी स्वीकृति के साथ ही साथ गरीब जनता के लिए शिक्षा स्वास्थ्य, समुचित भोजन एवं रोजगार की जिम्मेवारी अब राज्य को लेनी है। इन सभी समस्याओं का निदान महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढ़ंग से बगैर लागू किए और उसे सफल बनाये नहीं हो सकता। अतः कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

अन्य देशों के अनुभवों से यह सीख मिलती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं निर्धनता के कारण उत्पन्न अज्ञानता, बीमारी कुपोशण की समस्या की उपेक्षा करके आर्थिक विकास की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। दक्षिण–पूर्व एशिया के कथित एशियाई शेर मलेशिया, इंडोनेशिया और कोरिया की अर्थव्यवस्था धाराशायी हो गयी, विश्व बाजार में वे दिवालिया हो गये उनके सांस्कृतिक पतन की तो सीमा ही नहीं है। वहाँ वेश्यावृति को सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था होने से ही उसके दुष्परिणामों से भारत अबतक बचा हुआ हाथी के समान मन्द गति से हीं सही, आगे बढ़ रहा है। एशियाई शेर के समान इसके पंजे में घाव नहीं है।

अतः यह सीख मिलती है कि हम ग्रामीण समाज से संबंधित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण परियोजना की अनदेखी नही कर सकते। आर्थिक सुधारों के साथ–साथ महिला कल्याण एवं बाल विकास से संबंधित परियोजनाओं को भी ग्रामीण समाज के संदर्भ में प्रभावशाली ढ़ंग से लागू करना हीं होगा तभी भारत का समन्वित आर्थिक विकास संभव है और सदियों से उपेक्षित तथा प्रताड़ित कमजोर वर्ग मुख्य राष्ट्रीय धारा में आ सकता है। अतः महिला कल्याण एवं बाल विकास परियोजना का परिदृश्य भी आज उतना खराब नहीं है जितनी कि आशंका नई आर्थिक नीति लागू होने के समय हुई थी। यदि नई आर्थिक नीति की उत्पादकता और कुशलता की धारण को महिला कल्याण एवं बाल विकास से संबंधित परियोजनाओं में लागू किया जाये तो बहुत सारे अनुत्पादक और अनार्थिक व्यय बन्द हो जायेगें। हमें यह याद रखना चाहिए कि न तो महिला कल्याण एवं बाल विकास परियोजना रिलीफ या भीख ही है और नही अनुदान ही। यह तो जन सहयोग और जन चेतना के द्वारा आर्थिक रूप से उपेक्षित परिवार की महिलाओं एवं उनके बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का एक आर्थिक, सामाजिक यज्ञ है। अतः यदि कार्यकुशलता और उत्पादकाता के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है तो एक ओर विकास की गति तीव्र होगी दूसरी ओर जिस वर्ग के लिए इन से जब भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारम्भिक दौर पूरा हो चुका है और दूसरे दौर की प्रक्रिया जारी है तो इस आलोक में परियोजना की सार्थकता एवं उपयोगिता पर विचार करना और भी अधिक समीचीन हो जाता है। एक और जहाँ अमर्त्य सेन के विचारों के आधार पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता बढ़ी है और महिलाओं के कल्याण तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है तो दूसरी और उदारीकरण एवं निजीकरण की दौर में सामाजिकह एवं आर्थिक कार्यक्रमों से हर राज्य का हस्तक्षेप घट रहा है। नई आर्थिक नीति और आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर में राज्य की भूमिका अब आदेशात्मक नहीं रही। अब तो राज्य की भूमिका ब्यूटी पार्लर के समान हो गई है। जिस तरह ब्यूटी पार्लर में चेहरे को आकर्षक बनाया जाता है ठीक उसी तरह अब राज्य की भूमिका भी देशी तथा विदेशी पूँजी निवेश के ए अर्थव्यवस्था को आर्काक बनाने तक सीमित हो गई है। ऐसे परिवेश में महिला एवं बाल विकास परियोजना का परिदृश्य उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता।

बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बस्तु की गुणवत्ता और उत्पादकता पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रौद्योगिकी का तेजी से किसा होता है। पूँजीवादी विकास मॉडल अपने चरमोत्कर्श पर पहुॅचता है। यहॉ योग्यतम व्यक्ति हीं आगे बढ़ते है। कमजोर और निर्धन व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं वे गरीबी, बेरोजगारी, पीछड़ापन और निर्धनता के विशम चक्र में जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं जबकि महिला कल्याण एवं बाल विकास से संबंधित कार्य मूलतः श्रम प्रधान और लोक कल्याणकारी चरित्र के होते हैं। उनका उदेष्य गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों में सदियों से कुपोशित, अपाहिज, अज्ञानी, बीमार और लाचार बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य षिक्षा और समुचित पोशाहार के द्वारा मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाना होता है। ऐसे कार्यक्रम आधुनिक प्रौद्योगिकी से अधिक गॉधीवादी दर्षन से प्रभावित होते हैं। ऐसी परियोजनाऍ हरिजन पिछड़े, गरीब एवं अनुसूचित जनजातियों को ध्यान में रखकर बनायी जाती है जबकि नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत उत्पादकता, गुणवत्ता और व्यक्ति की योग्यता और क्षमता है जबकि महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का आधार गरीबी की रेखा के नीचे का पूर समाज है। जहॉ नई आर्थिक नीति कुछ औद्यौगिक केन्द्रों को विकसित करने के लिए भारी मात्रा में देषी और विदेषी पूॅजी निवेष पर जोर देते हैं वहीं महिला एवं बाल विकास परियोजना ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों को विकसित करने से संबंधित है।

इस तरह हम देखतें हैं कि प्रथम दृष्टि में नई आर्थिक नीति और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के दार्षनिक आधार में अन्तर है। दोनों में विरोधाभास है, इसके चलते ऐसा लगता है कि नई आर्थिक नीति जिसका आधारभुत सिद्धांत उदारीकरण और निजीकरण है। योजना को लागू किया जाता है उन्हें इसका वास्तविक लाभ भी मिलेगा।

हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि इस देष में लोकसभा, विधानसभा एवं अन्य जन प्रतिनिधियों का चयन लोकतांत्रिक पद्धति से हुआ है। लोकतंत्र में जनसंख्या का महत्व होता है, बहुमत की षासन व्यवस्था होती है। हर राजनैतिक दल कुछ ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा करता है जो बहुमत के कल्याण के लिए होता है। नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत कितना भी उदारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण और वैष्वीकरण का नारा दिया जाये, भारत की आधि आबादी, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी दूर करने के कार्यक्रमों को कोई भी राजनैतिक दल पूर्णतः उपेक्षित करने का साहस नही कर सकता। हर राजनैतिक दल गरीबों को अपना वोट बैंक बनाना हीं चाहेगा। इस संदर्भ में महिला कल्याण एवं बाल विकास कार्यक्रमों का महत्व बढ़ ही जाता है। चाहे इस योजना को जो भी नाम दिया जाये, उनमें महिलाओं के कल्याण और बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रम अवष्य ही रहेगें। अमर्त्य सेन ने ठीक ही कहा है कि आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों के लागू होने के बावजूद षिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना की प्रासंगिकता और सार्थकता बनी रहती है।

चाहे राज्य की कोई भी भूमिका हो, भारत में सामाजिक क्षेत्र और गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजना के कार्यक्रमों को लागू करना हीं होगा, चाहे उसे जो भी नाम दिया जाये। भारत की आधि आबादी, महिलाओं के कल्याण और बच्चों के विकास से संबंधित परियोजनाओं के कार्यक्रमों को किसी भी हालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्षीवाद प्राप्त है। महात्मा गॉधी के सपनों के अनुरूप, समाज के सबसे कमजोर वर्ग की महिलाओं एवं उनके बच्चों के हित पर भी ध्यान देना होगा। आवष्यकता सिर्फ भ्रष्टाचार, लालफीताषाही और राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर जन चेतना और जन सहयोग के आधार पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को विकेन्द्रीत षासन प्रणाली के तहत् लागू करने की है।

अतः इसे समाप्त करने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही प्रष्न चिन्ह लग जायेगा।

lnHkZ

1. डॉ0 अमर्त्य सेनः पोवर्टी एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेन्ट, 1976
2. सिंह, संजीव कुमारः सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में भारत की सामुदायिक विकास परियोजना की भूमिका, पृष्ट–240
3. एस0 रामादेवीः स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट पॉलिसीज एण्ड वीमेन; एक्सपीरियेसेज ऑफ एषियन कंट्रीज, डॉ0 देवेन्द्र कुमार दास द्वारा संपादित, पृष्ट–88–89